International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और प्रारंभिक शिक्षा नीति की प्रासंगिकता

अविनाश कुमार

शोधार्थी, शिक्षा विभाग रामचन्द्र चंद्रवंशी वि वि विश्रामपुर पलामू

प्रस्तावना

यह संपूर्ण भारत की शिक्षा नीति हैं। जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन् 1986 में जारी हुई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन हैं। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के0 कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति के रिपोर्ट पर आधारित हैं। यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति हैं। जिसमें शिक्षा को पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना, वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत् प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी हैं। जिसमें शिक्षा वह माध्यम है जिससे देश का विकास हो सके। इस नई नीति में मानव संसाधन मंत्रालय के नाम को बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया। इसमें समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रुप में भारत में उच्च शिक्षा आयोग के गठन करने का प्रावधान किया गया। साथ ही शिक्षा तंत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का कुल 6 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया। अभी वर्तमान में शिक्षा तंत्र पर घरेलू उत्पाद का लक्ष्य 4.43 प्रतिशत हैं।

यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए किया जाएगा। जिसमें एसडीजी को शामिल किया जाएगा। इसके द्वारा शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेस सहित, सभी पक्षों के सुधार और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ–साथ उच्चतर शिक्षा की तार्किक और समस्या–समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए। साथ ही नैतिक, सामाजिक, और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक हैं।

इस शिक्षा नीति के द्वारा सभी विद्यालयों के लिए, चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो। उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्य में ऐतिहासिक रुप से हाशिए पर रह रहे समुदायों, वंचितों और अल्प–प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसे समूहों के बच्चों के लिए, पारिस्थितिजन्य बाधाओं के बावजूद, हर संभव पहल की जाएगी। जिससे वे शिक्षा के सभी बच्चों के लिए, पारिस्थितिजन्य बाधाओं के बावजूद, हर संभव पहल की जाएगी। जिससे वे शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश भी पा सकें और उत्कृष्ट प्रदर्शन भी कर सकें। इस शिक्षा नीति पर पिछली नीतियों का जोर मुख्य रुप से शिक्षा तक पहुँच के मुद्दों पर था। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे 1992 में संशोधित किया गया था, के अधूरे काम को इस नीति के द्वारा पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया हैं। 1986/92 की पिछली नीति के बाद से एक बड़ा कदम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 रहा है। जिसे सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कानूनी आधर उपलब्ध कराया जाएगा।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति हैं। जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। जिसे मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया हैं। जिसे लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक हैं। इस शिक्षा नीति के लाने का मुख्य कारण पुरानी शिक्षा नीति की कमियों को दूर करना हैं। पुरानी शिक्षा नीति में बच्चों को पढ़ाने पर ही जोर दिया गया था। उनके लिए रोजगार के उचित अवसर नहीं मिल

पाते थे। इस शिक्षा नीति में शिक्षक और छात्रों का अनुपात 30:1 रखा गया हैं। जिससे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में कोई समस्या उत्पन्न न हो। शिक्षक और छात्रों के अनुपात सही रहने से बच्चे आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए विषय वस्तु को बढ़ाने पर जोर नही दिया गया हैं। बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे बच्चा समस्या समाधन और तार्किक एवं रचनात्मक रुप से सोचना सीखा सकता हैं। साथ ही राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिसमें प्राथमिक स्तर को बच्चों के लिए गेहूँ, चावल, फल इत्यादि दिए जाएँगें। जिससे सभी स्तर के बच्चे इस सुविधा का लाभ उठाकर आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से ऐसे परिवार है जो गरीब वर्ग से आते हैं। ऐसे में उन बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल था। सरकार ने इन सभी योजनाओं को लागू कर बहुत अच्छा कार्य किया हैं। जिससे सभी स्तर के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके। साथ ही ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात के साथ ही प्रारंभिक से माध्यमिक विद्यालय तक नामांकन को पूरा किया जा सके। जिससे सभी स्तर के बच्चों का नामांकन हो। जब तक सरकार किसी लक्ष्य को नहीं रखती तब तक पूरा करना संभव नहीं होता। इसलिए इस नीति में 2030 तक का लक्ष्य रखता गया हैं। इस शिक्षा नीति में शिक्षा पर व्यय करने का बजट 6 प्रतिशत निर्धारित किया गया हैं। वर्तमान में यह 4.43 प्रतिशत हैं। इससे पुरानी शिक्षा नीति में परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया गया हैं। जिसमें बच्चे कक्षा तीसरी, पाँचवी और आठवीं कक्षा में ही परीक्षा दे सकते हैं। इससे पहले की शिक्षा नीति के आधार पर सभी कक्षा का आयोजन किया जा रहा हैं। इससे बच्चों में मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता था। जब परीक्षा का आयोजन हर कक्षा में न होकर कुछ साल के अंतर पर रखा जाएगा। इससे बच्चे को कम परेशानी हो सकती हैं। साथ ही कक्षा 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठक्रम ढ़ांचा का निर्माण किया गया हैं। यह ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें देश की दशा और दिशा तय करती हैं। इस नीति के द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देने की बात की गई हैं। जिससे प्राथमिक स्तर के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। प्राचीन काल में बिहार शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। शिक्षा का प्रमुख केन्द्र नालन्दा विश्वविद्यालय,विक्रमशिला विश्व विद्यालय, वर्जासन विश्विद्यालय एवं ओदन्तपुरी विश्व विद्यालय थे। देश ,विदेश के कोने कोने से छात्रा यहां पढ़ने हेतु आते थे यहां तक की गौतम बुध की भी शिक्षा बिहार के बोधगया में ही हुई थी। बिहार का सबसे शिक्षित जिला रोहतास है। इस जिले का साक्षरता दर 73.37 प्रतिशत है। पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं की साक्षरता दर कम है। यहाँ के 83.88 प्रतिशत पुरुष शिक्षित है जबकि 62.97 प्रतिशत महिलाएं ही शिक्षित है। यहां पर नई शिक्षा नीति आसानी से शुरू किया जा सकता है। बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय किलोमीटर में स्थित था।

नई शिक्षा नीति 2020

शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखने और सिखाने की क्रिया इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी समाज में चलने वाली वह निरंतर प्रक्रिया जिसका उद्देश्य इंसान की आन्तरिक शक्तियों का विकास करना और उसके व्यवहार में सुधार लाना है शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य ज्ञान और कौशल में वृद्वि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाना है। गौरतलब है कि आजादी के बाद भारत में पहली शिक्षा नीति सन 1986 में बनाई गई थी जो मुख्यतः लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी प्रधान शिक्षा नीति पर आधरित थी। इसमें सन 1992 में कुछ संशोधन भी किए गए किंतु इसका ढांचा मूलतः अंग्रेजी माध्यम शिक्षा पर ही केंद्रित रहा। आज समय के साथ हमें यह महसूस हुआ कि 1986 की वह शिक्षा नीति में कुछ खांमियां हैं इसके तहत बच्चा ज्ञान तो हासिल कर रहा है किन्तु यह ज्ञान उससे भविष्य में रोजगार के अवसर पैदा करने योग्य नही बन पा रहा हैं। अतः इन कमियों को दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाने की आवश्यकता पड़ी। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की ऐसी पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए आने वाले आवश्यकता को पूरा करना है द्य यह नीति भारत की परंपरा और उसके सांस्कृतिक मूल्यों को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्य, जिसके अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था उसके नियमों का वर्णन सहित सभी पक्षों के सुधर और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमता के विकास पर जोर देती है। यह नीति इस सिद्वांत पर आधारित है

कि शिक्षा से ना केवल साक्षरता, उच्च स्तर की तार्किक और समस्या समाधन संबंधित संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए बल्कि नैतिक सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना चाहिए।

नई शिक्षा नीति के सकारात्मक परिणाम

नई शिक्षा नीति में मातृभाषा पर विशेष जोर दिया गया है जिससे बच्चा बचपन से ही अपनी मातृभाषा को अच्छे से समझ और जान पाएगा। इस नई नीति के तहत यदि कोई बच्चा अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर पाने में असमर्थ है या 3 वर्ष का कोर्स पूरा नहीं कर पाता है तो भी उसका नुकसान नहीं होगा उसे सार्टिफिकेट, डिप्लोमा प्राप्त हो पाएगा। जिसका उपयोग वह रोजगार के क्षेत्र में कर पाएगा। छठी कक्षा से ही बच्चों को इंटर्नशिप कराई जाएगी जिससे व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षा नीति में कोडिंग को भी शामिल किया गया है, यानी बच्चे मात्रा किताबी और व्यावहारिक ज्ञान ही नहीं अपितु तकनीकी क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। कुल मिलाकर यह नीति बच्चे के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करेगी। 2020 में नई शिक्षा नीति 30 वर्षों के बाद आई और भारत की मौजूदा शैक्षणिक प्रणाली को अकादमिक के अंतरराष्ट्रीय स्तर के बराबर बनाने के उद्देश्य से बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2040 तक एनईपी की स्थापना करना है। लक्षित वर्ष तक, योजना का मुख्य बिंदु एक–एक करके लागू किया जाना है। एनईपी 2020 द्वारा प्रस्तावित सुधार केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से लागू होगा। कार्यान्वयन रणनीति पर चर्चा के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तर के मंत्रालयों के साथ विषयवार समितियों का गठन किया जाएगा। यह भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्च गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराकर और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत बनाए समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। इस नीति में परिकल्पित है हमारे संस्थानों की पाठ्य चर्चा और शिक्षा विधि जो छात्रों में अपने मौलिक दायित्व और संवैधानिक मूल्य देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका के उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करें इस नीति का विजन है छात्रों में, भारतीय होने का गर्व, केवल विचार में नहीं बल्कि व्यवहार, बुद्वि और कार्यों में भी रहे। साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए। जो मानव अधिकार हो स्थाई विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्व हो ताकि वह सही मायने में एक योग्य नागरिक बन सकें।

समय के साथ शिक्षा नीति में परिवर्तन आवश्यक होता है ताकि देश की उन्नति सही तरीके से और तेजी से हो सके। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति को 34 वर्षों के बाद लाया गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य पालको केवल किताबी ज्ञान देना नहीं है बल्कि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी देकर उनकी मानसिक बौद्विक क्षमता को और भी ज्यादा प्रबल बनाना है। इस नई शिक्षा के माध्यम से बच्चों के मन में नए–नए चीजों को सीखने के प्रति रुचि जगाना है। ताकि बच्चे जीवन में अपनी योग्यताओं के बलबूते एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें। इसके अतिरिक्त अपने मातृभाषा को बढ़ावा देना भी इस शिक्षा नीति का उद्देश्य हैं। नई शिक्षा नीति में शिक्षा के पाठड्क्रम को 5+ 3+ 3+ 4 के मॉडल में तैयार किया जाएगा। पहले यह 10+2 के अनुसार था। इस मॉडल के अनुसार प्रथम 5 वर्षों को फाउंडेशन स्टेज के रूप में रखा गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए मजबूत नींव को तैयार करना है। इन 5 वर्षों के पाठयक्रम को एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें प्राइमरी के 3 और पहली और दूसरी कक्षाओं को सम्मिलित किया जाएगा। इस नई मॉडल के कारण बच्चों के लिए किताबों का बोझ हल्का हो जाएगा अब वे आनंद लेते हुए सीख पाएंगे। इसके अगले 3 वर्षों में तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षाओं को शामिल किया गया है। जिसका उद्देश्य बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करना है और इन कक्षाओं के बच्चों को गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान जैसे विषयों को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद के 3 वर्षों को मध्यम स्तर की तरह माना जाएगा। जिसमें 6,7, और 8 वीं कक्षाओं को शामिल किया जाएगा। इन कक्षाओं के बालकों को एक निश्चित पाठयक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं इन पाठयक्रम के अतिरिक्त बच्चो को टेक्निकल ज्ञान भी दिए जाएंगे। बच्चों को कोडिंग भी सिखाया जाएगा। जिससे वे भी चाइना के बच्चों की तरह

ही छोटी उम्र में ही सॉप्टवेयर और ऐप बनाना सीख पाएंगे। आगे के 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को अंतिम स्तर में रखा जाएगा, जिसके दौरान बच्चे अपने मनपसंद विषयों को अपने पाठयक्रम में शामिल कर पाएंगे।

निष्कर्ष

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के स्तंभों पर आधारित है। इस नीति का उद्देश्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जो सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके और भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में विकसित करके देश के परिवर्तन में सीधे योगदान दे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे लाने के साथ ही देश में शिक्षा के पर व्यापक चर्चा आरंभ हो गई है। शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मनुष्य की अंर्तनिहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इन्हीं सब चर्चाओं के मध्य हम देखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति में ऐसी क्या कमियाँ रह गई थीं जिन्हें दूर करने के लिये नई राष्ट्रीय शिक्षा नति को लाने की आवश्यकता पड़ी। साथ ही क्या यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी जिसका स्वप्न महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद ने देखा था? सबसे पहले 'शिक्षा' क्या है इस पर गौर करना आवश्यक है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने एवं सिखाने की क्रिया परंतु अगर इसके व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसका कोई उद्देश्य होता है और जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है। शिक्षा द्वारा ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत GER के साथ–साथ पूर्व–विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है।

संदर्भ–सूची

1. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नियमावली, 2020 (शिक्षा मंत्राालय भारत सरकार)
2. उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि, बिरेंद्र सिंह,कुकन देवी (सहायक प्रोफेसर मौलाना मोहम्मद अली जोहर शिक्षा संस्थान किरतपुर, बिजनौर)
3. नई शिक्षा नीतिः अब शिक्षा के साथ कौशल विकास पर भी होगा जोर, शिक्षार्थी का संपूर्ण विकास होगा लक्ष्य, निवेदिता चक्रवर्ती
4. रोबर्ट यूलिच (2010)–शिक्षा विचार का इतिहास'', अग्रवाल पब्लिकेशन, आबिजनौकेथरिन आर्मस्ट्रांग एवं गीली एम. जैकसन (2010) भारत में शिक्षा का इतिहास'' अग्रवाल पब्लिकेशन ,आगरा।
5. एसú एनú मु•र्जी (2010)–भारत में शिक्षा का इतिहास'', अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग –1948–49
6. एसú एनú मु•र्जी–भारत में शिक्षा का इतिहास
7. अरुण कुमार सिंह –मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, तथा शिक्षा में शोध विधियाँ
8. भगवत शरण उपाध्याय (1974)–प्राचीन भारत का इतिहास,
9. अग्रवाल आई पी, रिर्सचेज इन इमर्जिंग पफील्ड्स ऑपफ एजुकेशन कॉन्सेप्ट्स, ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, नई दिल्ली, स्टर्लिंग पब्लिशर्स, 2009,प्रा.लि।
10. डॉमीना,सहायक प्रोपफेसर गार्गी कॉलेज ,हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय नए भारत की नींव–राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020